राजस्थान सरकार

राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

क्रमांकः एफ18(1)क.मं./बैठक/09/पार्ट–II   जयपुर, दिनांकः 22 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 के नियम 57 एवं नियम 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा समूह बीमा योजना, राजस्थान सरकार के अनुमोदन पश्चात् अधिसूचित करता हैः–

समूह बीमा (जनश्री बीमा) योजना

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना–

(i) यह योजना राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार समूह बीमा योजना कहलाएगी।

(ii) यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

(iii) यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22(1) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत मण्डल द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होगी।

(iv) यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हैं।

(2) परिभाषाएं– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) ''अधिनियम'' से आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है।

(ii) ''बोर्ड'' से आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।

(iii) ''सचिव'' से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।

(iv) ''दुर्घटना'' से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते–जाते समय अथवा अन्य किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से है।

(v) ''आश्रित'' से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, आश्रित माना जावेगा–

– पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
– अवयस्क पुत्र
– अविवाहित पुत्री
– पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
– आश्रित माता–पिता

(vi) ''परिवार'' से आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी(यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता–पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे सम्मिलित माने जाएंगें।

(vii) ''नामित'' अथवा ''नामिति'' से आशय हिताधिकारी निर्माण श्रमिक द्वारा राजस्थान नियम, 2009 के नियम 44(4) के अंतर्गत नाम निर्देशित किए गए नामिति से है।

(viii) निगम से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम से है।

(ix) जनश्री बीमा योजना– जनश्री बीमा योजना से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित जनश्री बीमा योजना से है और इसमें निगम द्वारा समय–समय पर किए गए संशोधन भी शामिल है।

परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन– उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में जो इस योजना मे परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है।

(3) योजना का विवरण–

(i) निर्माण श्रमिकों को धारा 22 (1) सपठित राज्य नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समूह बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे केवल निगम कहा जावेगा) द्वारा प्रचलित जनश्री बीमा योजना, जिस रूप में निगम द्वारा प्रभावशील है, निर्माण श्रमिकों के लिए उन्हीं अनुलाभों सहित प्रभावशील होगी।

(ii) पात्रता–

(1) 18 से 59 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगें।

(2) हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों का इस योजना के अंतर्गत बीमा हो सकेगा।

(3) समूह की पात्रता और अधिसूचना जीवन बीमा निगम द्वारा नोडल एजंसी अर्थात् बोर्ड की सलाह से निर्धारित की जाएगी।

(4) बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों, जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा, के लिए यह योजना प्रवर्तित होगी।

(iii) हितलाभ–

(1) सदस्य की सामान्य मृत्यु पर रूपए 30,000/–

(2) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूप्ए 75,000/–

(3) दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रूपए 75,000/–

(4) दुर्घटना में दो आंख या दो हाथ–पांव या एक आंख और एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपए 75,000/–

(5) दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूप्ए 37,500/– का लाभ श्रमिक/आश्रित को दिया जाएगा।

(iv) प्रीमियम राशि– प्रत्येक सदस्य के लिए रूपए 200/– वार्षिक प्रीमियम होगा जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् 100/– भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोष द्वारा वहन किए जाते हैं शेष 100/– राशि निर्माण श्रमिकों की ओर से बोर्ड द्वारा वहन की जावेगी।

(v) नोडल एजेंसी– हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में बोर्ड नोडल एजेंसी होगा तथा बोर्ड द्वारा सभी परिचय पत्र धारी श्रमिकों की ओर से बीमा सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी की जावेंगी।

(4) दावा कार्य प्रणाली– (i) बीमित मृत सदस्य के नामिति या आश्रित को मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्य विवरण सहित प्रपत्र–1 में नोडल एजेंसी (बोर्ड) को देनी होगी। बोर्ड द्वारा दावा फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में भेजा जावेगा तथा भारतीय जीवन निगम द्वारा दावे का निपटारा अकाउण्ट पेयी चैक बोर्ड के नाम से जारी कर, किया जावेगा। दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में उपयुक्त विवेचना तथाा प्रमाणिकता की जांच की जाएगी। जीवन बीमा निगम द्वारा दावे का निपटारा करने से पूर्व, दावे की प्रामाणिकता साबित होने पर, बोर्ड द्वारा बीमित अथवा आश्रित या नामिति को देय दावा राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अकाउण्ट पेयी चैक से किया जा सकेगा। शेष दावा राशि का भुगतान बीमित या नामित को, निगम से दावे का भुगतान प्राप्त होने पर, किया जावेगा।

(ii) दुर्घटना में अपंग होने अथवा किसी अंग के अक्षम होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ बोर्ड को निर्माण श्रमिक द्वारा प्रपत्र–1 में आवेदन दिया जावेगा तथा बोर्ड द्वारा आवेदन भारतीय जीवन बीमा निगम को अग्रेषित किया जावेगा जिसके परीक्षण उपरान्त भारतीय जीवन निगम अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से बोर्ड को भुगतान करेगा।

(iii) श्रम विभाग के जिला कार्यालय बीमित सदस्यों से दावा प्रार्थना पत्र और शिक्षा सहयोग योजना के आवेदन प्राप्त करने, उनकी जांच करने और दावा राशि का भुगतान सम्बन्धित को करने के लिए बोर्ड की ओर से अधिकृत एजंसी होंगें। बोर्ड द्वारा अन्य किसी विभाग के कार्यालयों को भी अधिकृत एजंसी बनाया जा सकेगा।

(5) अन्य लाभ– शिक्षा सहयोग का लाभ– जनश्री बीमा योजना के धारकों को दो बच्चों तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए 100/–प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जावेगी। शिक्षा सहयोग योजनान्तर्गत हिताधिकारी को अथवा नोडल एजेंसी (बोर्ड) को कोई पृथक प्रीमियम नहीं देना होगा।
(6) समूह बीमा (जनश्री बीमा योजना) की प्रक्रिया– बोर्ड द्वारा प्रदेश में पंजीबद्ध किए गए निर्माण श्रमिकों की सूची, जिसमें निर्माण श्रमिकों का नाम, आयु तथा उनके नामांकितों (आश्रितों) का पता सम्मिलित होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम को समूह के निर्माण श्रमिकों को जनश्री बीमा योजना की परिधि में लाने के लिए, उपलब्ध करायी जावेगी तथा निर्माण श्रमिकों के समूह बीमा हेतु 100/– प्रति सदस्य प्रीमियम बोर्ड द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अदा किया जाएगा।
(7) विसंगति का निराकरण– योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में अध्यक्ष का इस सम्बन्ध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

प्रारूप(1)

समूह बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना) के अन्तर्गत दुर्घटना की स्थिति में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

(1) हिताधिकारी का नाम ....

(2) पिता/पति का नाम ....

(3) जन्म तिथि/आयु ....
(4) अ) वर्तमान पता–...

(ब) स्थाई पता– ....
....

(5) हिताधिकारी रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ....

(6) दुर्घटना की विशिष्टियां ....

(7) क्षति का स्वरूप ....

(8) उस स्थान का विवरण,
जहां दुर्घटना के समय नियोजित रहे ....

(9) नामांकित व्यक्ति का नाम/पता– ....
(बीमित की मृत्यु हो जाने की स्थिति में)
....

(10) मृत्यु प्रमाण–पत्र (मूल) ....

(11) चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण–पत्र ....

(12) अन्य विवरण ....

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक अथवा
नामित/आश्रित के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान(नाम सहित)

स्थानः
दिनांकः

(श्रम विभाग के जिला कार्यालय द्वारा भरा जावे)

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक/आश्रित श्री/सुश्री..द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन का परीक्षण किया गया। परीक्षण में वर्णित दुर्घटना/मृत्यु की स्थिति सही पायी गयी। उक्त आवेदन बीमा राशि के भुगतान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर को भेजने हेतु मण्डल को अग्रेषित किया जाता है।

स्थानः

दिनांकः

श्रम विभाग के कार्यालयाध्यक्ष
का पदनाम, मुहर व हस्ताक्षर

(मण्डल कार्यालय द्वारा भरा जावे)

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक/आश्रित श्री/सुश्री..द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन का परीक्षण किया गया। परीक्षण में वर्णित दुर्घटना/मृत्यु की स्थिति सही पायी गयी। उक्त आवेदन बीमा राशि के भुगतान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर को भेजने हेतु अग्रेषित किया जाता है।

सचिव/संयुक्त सचिव

स्थानः
दिनांक

(अंजना दीक्षित)
सचिव

क्रमांकः एफ18(1)क.मं./बैठक/09/पार्ट–II जयपुर, दिनांकः 22 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

मण्डल सचिव एवं श्रम आयुक्त

राजस्थान सरकार
राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

क्रमांकः एफ18(1)क.मं./बैठक/09/पार्ट–II जयपुर, दिनांकः 22 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 के नियम 57 एवं नियम 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा प्रसुविधाओं से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली योजना बनाता है तथा राजस्थान शासन के अनुमोदन पश्चात् अधिसूचित करता हैः–

दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा म) तत्काल सहायता योजना

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना– (1) यह योजना राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के लिए दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) तत्काल सहायता योजना कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।
(3) यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम की धारा 22(1) (क) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 व 58 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
(4) यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हैं।

(ख) परिभाषाएं– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
(i) ''अधिनियम'' से भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है।
(ii) ''बोर्ड'' से अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।
(iii) ''सचिव'' से अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।
(iv) ''दुर्घटना'' से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते–जाते समय अथवा अन्य किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से है।
(v) ''आश्रित'' से आशय, ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, आश्रित माना जावेगा–
– पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
– अवयस्क पुत्र
– अविवाहित पुत्री
– पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
– आश्रित माता–पिता
(vi) ''परिवार'' से आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी(यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता–पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे सम्मिलित माने जाएंगें।

परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन– उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है।

(ग) योजना का विवरण– (1) प्रस्तावना– भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 22(1) (क) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 व 58 के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में तत्काल सहायता राशि के भुगतान के लिए यह योजना होगी। इस योजना का लाभ सभी हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिकों को मिलेगा।

(2) पात्रता– (1) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
(2) बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा, उनके लिए यह योजना प्रवर्तित होगी।

(3) उत्तराधिकारी– परिचयपत्र धारी निर्माण श्रमिक द्वारा राजस्थान नियमों के अंतर्गत नाम निर्देशित किया गया नामित तथा नामिति नहीं होने की स्थिति में उसका पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर अवयस्क पुत्र अथवा अविवाहित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन सबके नहीं होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हों, उत्तराधिकारी होगा।
(4) तत्काल सहायताः हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में में मृत्यु अथवा घायल होने के तत्काल पश्चात् अथवा एक सप्ताह की अवधि में निम्नानुसार सहायता राशि दी जावेगीः
1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर– 10,000/–
2. दुर्घटना में गम्भीर घायल होने पर 5,000/–
3. दुर्घटना में साधारण घायल होने पर रूपए 500/– से 1,000/– तक

(5) विशेष परिस्थितियों में मण्डल अध्यक्ष की स्वीकृति से सहायता राशि में वृद्धि की जा सके और ऐसे मामलों को मण्डल की जानकारी में लाया जावेगा।
(6) विशेषः– इस योजना में देय सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त होने वाली सहायता से अतिरिक्त होगी। अर्थात् मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता के साथ ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

(घ) आवेदन और भुगतान की प्रक्रियाः
1. हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर को आवेदन(संलग्न प्रारूप–1 में) भेजा जावेगा। आवेदन का परीक्षण कर तुरन्त अथवा एक सप्ताह की अवधि में अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से जिला कलक्टर द्वारा सीधे आवेदक को सहायता राशि का भुगतान किया जावेगा।
2. योजना के अंतर्गत शीघ्र सहायता राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा जिला कलक्टरगण को आवश्यकतानुसार राशि अग्रिम बतौर आवंटित की जावेगी।
3. जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा बोर्ड से प्राप्त अग्रिम राशि तथा स्वीकृत व जारी की गई सहायता राशि का पूर्ण लेखा व ब्यौरा संधारित किया जावेगा तथा योजनानुसार भुगतान की गई सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के विवरण सहित प्रत्येक आवेदन के निस्तारण से एक माह की अवधि में बोर्ड के सचिव को भेजा जावेगा।
(ड.) सहायता राशि के लिए अपात्रः– सहायता राशि का भुगतान आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्‌देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में नहीं किया जावेगा।
(च) सक्षम अधिकारीः– सहायता राशि की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित जिला कलक्टर सक्षम अधिकारी होंगें। प्राप्त आवेदन का सत्यापन अधीनस्थ अधिकारी से कराया जाकर जिला कलक्टर द्वारा भुगतान की स्वीकृति दी जावेगी, किन्तु जिन प्रकरणों में विश्वसनीय परिस्थिति है, वहां जिला कलक्टर बोर्ड के सचिव को सूचित कर तत्काल भुगतान की स्वीकृति दी जा सकेगी।

(छ) विसंगति का निराकरणः— योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में सचिव का इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

प्रारूप (1)

दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन—पत्र

(1) हिताधिकारी का नाम ....

(2) पिता/पति का नाम ....

(3) जन्म तिथि/आयु ....

(4) (अ) वर्तमान पता— ....

(ब) स्थायी पता — ....

(5) हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक ....

(6) सम्बन्धित कार्यालय का नाम ....
(जिसके द्वारा पंजीयन किया गया)

(7) दुर्घटना की विशिष्टियां/विवरण..

(8) क्षति का स्वरूप ....

(9) उस स्थान का विवरण, जहां दुर्घटना ....
के समय हिताधिकारी नियाजित रहा ....

(10)उत्तराधिकारी/नामित का नाम/पता ....
....

(11)मृत्यु प्रमाण—पत्र की प्रति ....

(13)प्रमाणितकर्ता सर्जन/मुख्य चिकित्सा ....
अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी द्वारा ....
दिया गया प्रमाण—पत्र(यदि हो तो) ....

स्थानः ....
दिनांकः................

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक या नामित के
उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान (नाम सहित)

(अंजना दीक्षित)
सचिव

क्रमांकः एफ18(1)क.मं./बैठक/09/पार्ट—II जयपुर, दिनांकः 22 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

मण्डल सचिव एवं श्रम आयुक्त

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 9, शुक्रवार, शाके 1933–अप्रेल 29, 2011 *Vaisakha 9, Friday, Saka 1933 – April 29, 2011*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

अधिसूचनाएं

जयपुर, अप्रेल, 28, 2011

संख्याःएफ.18(1)कल्याण मण्डल/बैठक/2009/पार्ट–II/786:–राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2009 के नियम 57 एवं नियम 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा प्रसूति सहायता योजना, राजस्थान सरकार के अनुमोदन पश्चात् अधिसूचित करता है :–

प्रसूति सहायता योजना

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना– यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना 2011 कहलाएगी.

1.2 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी.

1.3 यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(1) (छ) सहपठित नियम, 2009 के नियम 57 व 58 के अंतर्गत मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी.

1.4 यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण महिला कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी पंजीबद्ध हों एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हों।

2. परिभाषाएं– इस योजना में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 ''अधिनियम'' का आशय ''भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियमय, 1996 (1996 का 27)'' से अभिप्रेत है.

2.2 ''नियम 2009'' नियम 2009 का आशय ''राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 से अभिप्रेत है।

2.3 ''मण्डल'' का आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित राजथान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है।

2.4 ''सचिव'' से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।

2.5 ''हितग्राही श्रमिक'' अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीबद्ध एवं धारा 13 के अंतर्गत परिचय पत्रधारी महिला श्रमिक प्रसूति लाभ के लिए हितग्राही महिला श्रमिक होगी।

2.6 ''परिभाषित न किए गए शब्दों का विवेचन'' उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में जो इन योजनाओं में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/नियम, 2009 में

परिभाषित या प्रयुक्त है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम, 2009 में परिभाषित है।

3. योजना का विवरण–

3.1 प्रस्तावना– महिला निर्माण श्रमिक जो धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी है, को अधिनियम की धारा 22(1) (छ) सहपठित नियम, 2002 के नियम 57 व 58 के अंतर्गत प्रसूति की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रभावशील होगी ।

3.2 पात्रता–

3.2.1 महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हो।

3.2.2 प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3.2.3 प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा।

3.2.4 ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक (डिफाल्ट) करते हैं, उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

3.2.5 पुनः मासिक अदायगी न करने की चूक का नियमानुसार पुनर्भरण करने पर निर्माण हिताधिकारी कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्र होगी।

4. हितलाभ– हिताधिकारी महिला श्रमिक को रूपए 6000/–(छः हजार रूपए) प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार दी जावेगी। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद लाभ प्राप्त न होने की दशा में 1000/– रूपए अतिरिक्त सहायता देय होगी।

5. आवेदन प्रक्रिया एवं हितलाभों का भुगतान–

5.1 हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा प्रपत्र "अ" में स्थानीय श्रम अधिकारी अथवा मण्डल में आवेदन भरकर जमा कराया जावेगा। यह आवेदन चिकित्सक द्वारा अनुमानित प्रसूति तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जमा करना आवश्यक है। किन्तु यदि निर्माण श्रमिक कुछ कारणवश पूर्व में आवेदन जमा करने में असमर्थ रहती है तो प्रसूति के पूर्व अथवा प्रसूति के तुरन्त बाद आवेदन जमा कर सकती है, किन्तु प्रसूति दिनांक से अधिकतम 60 दिन के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रसूति हितलाभ की पात्रता नहीं होगी।

5.2 स्थानीय श्रम कार्यालयों अथवा मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जांच तथा सत्यापन कर प्रसूति हितलाभों के भुगतान हेतु मण्डल मुख्यालय को प्रकरण भेजा जावेगा।

5.3 मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर अपेक्षित जांच पड़ताल के बाद सहायता राशि का भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल कार्यालय के माध्यम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा हितग्राही को प्रेषित किया जाएगा।

5.4 प्रसूति हितलाभ के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों के भुगतान की स्वीकृति मण्डल के सचिव के अनुमोदन से की जाएगी तथा स्वीकृति के उपरान्त मण्डल कार्यालय/निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार देय भुगतान हिताग्राहियों को प्रेषित किया जाएगा।

6. विसंगति का निराकरण– योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में मण्डल के अध्यक्ष का इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

प्रपत्र ''अ''

(प्रसूति हितलाभ योजना हेतु आवेदन)

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना आवश्यक है

1. आवेदक महिला श्रमिक का नाम एवं पता ....
....
2. पति का नाम ....
3. हिताधिकारी पंजीयन कमांक तथा अभिदाय राशि संदाय प्रारम्भ करने की अवधि ....
4. नियोजक का नाम जहां आवेदक नियोजित है ....
....

घोषणा

मैं ....पत्नी.............................हिताधिकारी पंजीयन कमांक......................घोषणा करती हूं कि मैं विगत ....वर्ष.....................माह से अभिदाय संदाय कर रही हूं तथा तथा गर्भावस्था/प्रसव/समय पूर्व शिशु जन्म/गर्भपात के कारण दिनांक ....से कार्य पर नहीं गई हूं/नहीं जा सकूंगी। मैं वचन देती हूं कि यह आवेदन मैंने प्रथम/द्वितीय बार हितलाभ प्राप्त करने हेतु दिया है। यदि इससे अधिक बार प्रसूति सहायता मेरे द्वारा लिया जाना पाया जाएगा अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा यह लाभ लेने हेतु मैं दोषी पाई जाती हूं तो मैं यह राशि मण्डल को वापस करने के लिए बाध्य रहूंगी तथा इस सम्बन्ध में नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड की भागीदार रहूंगी।

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

स्थान........................ महिला श्रमिक का नाम ....

दिनांक................... हिताधिकारी पंजीयन कमांक..........................

जयपुर, अप्रेल, 28, 2011

संख्याःएफ.18(1)कल्याण मण्डल/बैठक/2009/पार्ट–II/788:–राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2009 के नियम 57 एवं नियम 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, राजस्थान सरकार के अनुमोदन पश्चात् अधिसूचित करता है :–

शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होनाः– 1.1 यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना 2011 कहलाएगी।

1.2 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

1.3 यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1) सहपठित नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

1.4 यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निमार्ण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीबद्ध एवं धारा–13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हैं।

(2) परिभाषाऐं–इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 ''अधिनियम'' का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है;

2.2 ''नियम, 2009 का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम,2009 से अभिप्रेत है ;

2.3 ''मण्डल'' का आशय धारा 18 की उपधारा(1) के अधीन गठित राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है;

2.4 ''सचिव'' का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है ;

2.5 ''शिक्षा स्तर'' का तात्पर्य कक्षा पहली से बारहवीं, स्नातक तथा स्नातकोत्तर की कक्षाओं से अभिप्रेत है, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8वीं तक, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 10वीं तक, उच्च माध्यमिक कक्षा 11वीं से 12वीं तक, स्नातक स्तर बी.ए., कॉम, बी.एस.सी, बी.ई., एम.बी.बी.एस. तथा अन्य सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.ए., एम.कॉम, एम.एस.सी., एम.ई., एम.डी., एम.एस. तथा अन्य डिप्लोमा जैसे आई.टी.आई, पॉलिटैक्निक, डी.सी.ए., एम.सी.ए., एवं अन्य समकक्ष आदि;

2.6 ''छात्र'' का तात्पर्य उन छात्र/छात्राओं से है जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में या केन्द्र/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त गैर–शासकीय शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं;

2.7 ''शिक्षण संस्था''– का आशय शासकीय, केन्द्र/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त गैर–शासकीय शिक्षण संस्था जिसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, डिप्लोमा आदि का शिक्षण कार्य संचालित किया जाता है;

2.8 ''परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन''– उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम 2009 में परिभाषित है;

(3) योजना का विवरण :–

3.1 प्रस्तावना– निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने हेतु मुख्य अधिनियम की धारा–22(1)(ङ) सहपठित नियम, 2009 का 57 व 58 के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शिक्षा सहायता(छात्रवृत्ति) योजना प्रभावशील की जानी है, ताकि निर्माण कर्मकार के बच्चों को उपयुक्त शिक्षा हेतु प्रेरित किया जा सके एवं आर्थिक सहायता से लाभान्विति किया जा सके;

3.2 पात्रताः–

3.2.(1) पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होंगे;

3.2(2) (i) छात्र अथवा छात्रा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हो ;

(ii) हिताधिकारी की पत्नि को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए यह आवश्यक शर्त है कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत छात्रा हो;

3.2(3) छात्र/छात्राऐं जो कक्षा 6 से 8वीं, कक्षा 9 से 12वीं, स्नातक बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी, बी.ई., एम.बी.बी.एस. तथा अन्य सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.ए., एम.कॉम, एम.एस.सी., एम.ई., एम.डी., एम.एस. तथा अन्य डिप्लोमा जैसे आई.टी.आई, पॉलिटैक्निक, डी.सी.ए., एम.सी.ए. आदि की शिक्षा, शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मे प्राप्त कर रहे हों;

3.2 (4) किसी पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को एक समय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति–पत्नि दोनों पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी हों तो इस परिस्थिति में पति–पत्नि के अधिकतम दो ही शिक्षारत बच्चों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता होगी.

3.2 (5) छात्र/छात्रा को किसी अन्य स्त्रोत से अथवा इस अधिनियम/नियम, 2009 के अधीन अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो।

3.2 (6) किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पश्चात् ही देय होगी।

3.2 (7) ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण संस्था खुलने पर छात्र/छात्रा एक माह के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त कर उपस्थित होता है तब ही उसे छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

3.2 (8) प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति पाने हेतु निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा स्थानीय मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

3.2 (9) अधिनियम की धारा 17 तथा नियम, 2009 के नियम 45 के प्रावधानानुसार जो हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय नहीं करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रहेगा, अतः ऐसे अभिदाय के संदाय में चूक करने वाले निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/पत्नि को देय इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति तुरन्त प्रभाव से स्थगित कर दी जायेगी परन्तु उपरोक्त धारा एवं नियम के परन्तुक

के अधीन हिताधिकार पुनर्स्थापन (restoration) होने पर इस छात्रवृत्ति का भुगतान पुनः प्रारम्भ हो जायेगा।

3.3 छात्रवृत्ति आवेदन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया–योजना के अंतर्गत निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के बच्चों के द्वारा संलग्न प्रपत्र–1 में आवेदन स्थानीय मण्डल कार्यालय/श्रम कार्यालय में जमा किया जावेगा, प्राप्त आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत आवेदन पत्र मण्डल को अग्रेषित किये जावेंगे, प्रदेश के सभी आवेदन पत्रों पर मण्डल के सचिव के अनुमोदन उपरांत छात्रवृत्ति अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से योजना के अनुच्छेद 3.4 की दर से भुगतान की जायेगी।

3.4 छात्रवृत्ति दरें– छात्रवृत्ति निम्नलिखित दरों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए स्वीकृत की जावेंगी।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	कक्षा	छात्र	छात्रा
1.	6 से 8	500	750
2.	9 से 12	1000	1200
3.	स्नातक स्तर	1500	2000
4.	डिप्लोमा स्तर	2000	2500
5.	स्नातकोत्तर स्तर	3000	4000

स्थानीय श्रम कार्यालय/स्कूल कमेटी के सदस्य/नियोजक के प्रतिनिधि/श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय के अधिकारी अथवा मण्डल मुख्यालय अथवा मण्डल के स्थानीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

4. नोडल एजेंसी–निर्माण कर्मकार के बच्चों को शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के संबंध में स्थानीय श्रम कार्यालय, मण्डल कार्यालय की नोडल एजेन्सी होगी तथा नोडल अधिकारी(कार्यालय प्रमुख)/नोडल एजेन्सी द्वारा हिताधिकारी कर्मकार के परिचय पत्र के आधार पर उनकी ओर से छात्रवृत्ति संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति की जायेगी।

5. सामान्य विनियम

5.1 छात्रवृत्ति पाने के इच्छुक छात्र/छात्रा को, चाहे नया प्रकरण हो अथवा नवीनीकरण का प्रकरण हो, संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय/ स्थानीय मण्डल कार्यालय में प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 जुलाई तक प्रस्तुत करना होगा, आवेदन पत्र संबंधित श्रम कार्यालय/स्थानीय मण्डल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे।

5.2 ऐसे विद्यार्थी जिन्हें शासकीय निधि अथवा गैर सरकारी संस्थाओं को शासन द्वारा मिलने वाली सहायता अनुदान से छात्रवृत्तियां मिलती हैं, छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी किन्तु यदि किसी छात्र/छात्रा को अपंग छात्रवृत्ति मिलती हो तो उन्हें इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति की पात्रता नियमानुसार रहेगी।

6. विसंगति का निराकरणः– योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में मण्डल के अध्यक्ष का इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

प्रपत्र–I

(हिताधिकारी निर्माण कर्मकार के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता(छात्रवृत्ति)योजना हेतु आवेदन–पत्र)

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना आवश्यक है।

भाग–(अ)
(प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ–साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जावें)

1. आवेदक का नाम(स्पष्ट अक्षरों में) श्री / श्रीमती / कुमारी...
....
....

2. जन्मतिथि ....
3. मूल निवासी / स्थायी पता ....
जिला..
पूरा स्थायी पता...
....

4. पिता / पति का नाम(पूरा नाम लिखें) ....
....

5. पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार से सम्बन्धित जानकारी...
   5.1 हिताधिकारी का नाम ....
   5.2 पंजीयन क्रमांक ....
   5.3 आवेदनकर्ता से सम्बन्ध ....
6. यदि पति–पत्नी दोनों पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी हैं, उनके सम्बन्ध में जानकारी–
   6.1 हिताधिकारी का नाम, पिता का नाम एवं पंजीयन क्रमांक ....
   6.2 हिताधिकारी माता का नाम एवं पंजीयन क्रमांक...

नोट– यदि छात्र / छात्रा के पिता व माता दोनों हिताधिकारी हैं तो उपरोक्त 6.1 व 6.2 की प्रविष्टियां अनिवार्य हैं.

7. बालक का नाम, पूरा पता तथा आवेदक से सम्बन्ध–
नाम–..
पता–...
सम्बन्ध(रिश्तेदारी)..............................

(8) विगत वर्ष की परीक्षा का विवरण दें(अंक सूची की प्रतियां संलग्न करें) शिक्षा सत्र में हुआ कोई व्यवधान रिमार्क के खाने में दर्शाया जाना चाहिए:–

क्रमांक	विवरण	गत वर्ष का विवरण
1.	परीक्षा का नाम	
2.	संस्था का नाम	

3.	वि.वि. / शिक्षा बोर्ड	
4.	परीक्षा का वर्ष (गत	
5.	परीक्षा उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण	
6.	यदि उत्तीर्ण की– 6.1 श्रेणी 5.2 पूर्णांक तथा प्राप्तांक 6.3 प्राप्तांक प्रतिशत	
7.	विशेष विवरण (शिक्षा सत्र में व्यवधान का विवरण)	

9. क्या पिछले वर्षों में कभी कोई छात्रवृत्ति मिली थी? हां / नहीं, यदि हां तो सूचित कीजिए–(अन्य किसी योजना के अंतर्गत)

(1) छात्रवृत्ति की राशि..
योजना का नाम ....

(2) उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके
लिए छात्रवृत्ति मिली थी व वर्ष–
(2.1) पाठ्यक्रम...
(2.1) वर्ष..

(3) उस संस्था का नाम जिसके
माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी–

(10) उस संस्था का नाम जहां इस वर्ष अध्ययनरत हैं. ....
10.1 वह पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदन द्वारा छात्रवृत्ति चाही गई है. ....
10.2 इस वर्ष किस कक्षा में अध्ययनरत है. ....
10.3 कक्षा में प्रवेश की तिथि ....

(11) निम्नांकित प्रमाण पत्रों को साथ लगाएं–
अ. अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां ....
ब. हिताधिकारी परिचय–पत्र की छायाप्रति ....

(12) क्या आपको इस वर्ष किसी अन्य योजना से ....
छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है ? यदि हां तो नाम व राशि ....

(13) क्या आप कोई पूर्णकालीन सेवा करते हैं? हां / नहीं...
....

घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने योजना के विनिमय पढ़ लिए हैं तथा इस आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण सही है. मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अन्तिम होता है गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे/हमारे लिए अन्तिम और बन्धनकारी होगा और मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति की रकम मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापिस करूंगा/करेंगें तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, यह रकम ऐसे किसी भी तरीके से, जो उचित समझे वसूल कर सकेगा.

1. आवेदक के हस्ताक्षर ....
2. पिता/पालक के हस्ताक्षर अथवा
   निशानी दाहिना/बायां अंगूठा ....
3. पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में ....

स्थान......................   4. छात्र से सम्बन्ध (रिश्तेदारी)..

तारीख....................   5. पिता/पालक का धन्धा ....

भाग (ब)

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाए जहां आवेदक अध्ययनरत हो)

1. पाठ्क्रम की अवधि जिसमें आवेदक अध्ययनरत है ....

2. प्रमाणित किया जाता है कि :–

   (1) आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जांची गई एवं वह सही है। जानकारी में जहां संशोधन आवश्यक था उसको लाल स्याही से अंकित किया गया है.

   (2) पाठ्यक्रम जिसमें आवेदक अध्ययनरत है वह.........................पाठ्यक्रम है.

   यह संस्था ....विश्वविद्यालय/मण्डल से सम्बद्ध है तथा भारत सरकार/राज्य शासन.....................................द्वारा मान्यता प्राप्त है। आवेदक इस संस्था में.................................. पाठ्यक्रम में पढ रहा है जिसमें प्रवेश फार्म के लिए न्यूनतम योग्यता ....पास है।

....

संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम स्पष्ट अक्षरों में.......................................

क्रमांक......................   पदनाम ....

स्थान.......................   पता..तारीख................ ..

.   संस्था की मुहर ....

(अंजना दीक्षित)

सचिव,

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण

कर्मकार कल्याण मण्डल,

राजस्थान, जयपुर